उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 23.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक 23.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह भी मौजूद रहीं।

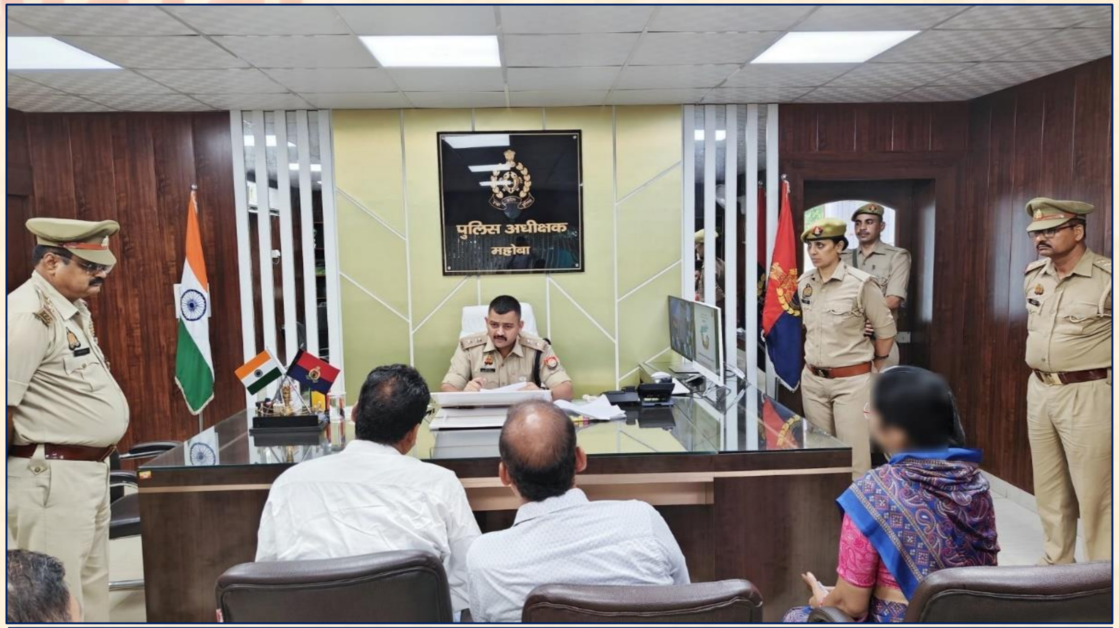

सुरक्षा का दायित्व निभा रही हैं "महिला पुलिस बीट अधिकारी"

मिशन शक्ति अभियान के तहत कम्यूनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु शक्ति दीदी (महिला बीट एवं महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद में विभिन्न स्थानों पर संचालित कराये गये आउटरीच प्रोग्राम ।

जनपद महोबा में महिलाओं/बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के तहत संचालित कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज दिनांक 23.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस नोडल मिशन शक्ति श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज, बस स्टैण्ड सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल का आयोजन कर वृहद स्तर पर जनजागरुकता अभियान चलाया गया तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ शक्ति दीदी के रूप में जुड़ कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया गया । साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों यथा- वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि सहित कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया गया है ।

थाना कबरई की पुलिस टीम ने 20 क्वार्टर अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 22.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री नागेन्द्र कुमार नागर द्वारा गठित की गई उ0नि0प्रशि0 प्रशान्त दीक्षित के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त जयराम पुत्र प्यारेलाल उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम पहरा थाना कबरई जनपद महोबा जिसके कब्जे से एक सफेद बोरी में 20 क्वाटर देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद करते हुए पहरा रोड़ चतुर्भुज ग्रेनाईट थाना कबरई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 266/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0प्रशि0 प्रशान्त दीक्षित
2. कां0 अंकुश पाल

गिरफ्तार अभियुक्त–

जयराम पुत्र प्यारेलाल उम्र करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम पहरा थाना कबरई जनपद महोबा।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 23.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना खरेला की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 22.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष थाना खरेला श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित की गई उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त उदयभान पुत्र नन्दराम उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की सफेद बोरी मे 20 अदद क्वार्टर देशी शराब ठेका झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद करते हुए ग्राम चन्दौली के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 107/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा
2. हे0कां0 मो0 सरताज
3. म0कां0 नेहा देवी

गिरफ्तार अभियुक्त –

उदयभान पुत्र नन्दराम उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम चन्दौली थाना खरेला जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 23.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने 20 क्वार्टर अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 22.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई उ0नि0 अंकित कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त जयपाल पुत्र अवध बिहारी निवासी ग्राम रजौनी थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिनके कब्जे से एक सीमेन्ट की सफेद रंग की बोरी में 17 अदद क्वार्टर देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद करते हुए रूरीकला से घुटई मार्ग मे पुलिया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-177/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 अंकित कुमार यादव
2. का0 अरुण यादव

गिरफ्तार अभियुक्त-

जयपाल पुत्र अवध बिहारी निवासी ग्राम रजौनी थाना महोबकंठ जनपद महोबा

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 23.09.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना खन्ना की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 22.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री विनोद कुमार द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

उ0नि0 अनुरुद्व प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित प्रथम पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र चन्द्रभान अहिरवार उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम ग्योड़ी थाना खन्ना जनपद महोबा जिसके कब्जे से 17 क्वार्टर अवैध देशी शराब नाजायज बरामद की गई।

उ0नि0 श्यामजी यादव के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त श्याम अहिरवार पुत्र मंगल अहिरवार उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम मवईखुर्द थाना खन्ना जनपद महोबा जिसके कब्जे से एक बोरी मे 15 क्वार्टर अवैध देशी शराब नाजायज बरामद की गई।

उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में गठित तृतीय पुलिस टीम ने अभियुक्त छोटे पुत्र कल्ला निषाद उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम इचौली थाना मौदहा जनपद हमीरपुर जिसके कब्जे से एक बोरी मे 15 क्वार्टर अवैध देशी शराब नाजायज बरामद की गयी है।

उक्त अवैध शराब की बरामदगी/अभियुक्तों की गिरफ्तारी के आधार पर थाना खन्ना में क्रमशः मु0अ0सं0 125/24, मु0अ0सं0 128/24 व मु0अ0सं0 129/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण–

प्रथम पुलिस टीम–

1.उ0नि0 अनुरुद्व प्रताप सिंह 2.हे0का0 लोकेश प्रताप सिंह 3.का0 अंकित कुमार

द्वितीय पुलिस टीम–

1.उ0नि0 श्यामजी यादव 2.हे0का0 नरेन्द्र सिंह

तृतीय पुलिस टीम–

1.उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव 2.का0 अमित सिंह यादव

@MahobaPolice

थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 23.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित टीम के उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्र मय हमराह उ0नि0 ऋषी शुक्ला व कां0 इन्द्रपाल चौहान द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण क्रमशः 1.राजदीप सिंह पुत्र शिवराम उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम लाड़पुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा 2.हरेन्द्र सिंह पुत्र शिवराम उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम लाड़पुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा सम्बन्धित परिवाद सं0 786/2011 धारा 323/504/506 भादवि0 में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ जनपद महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्तगण उपरोक्त को ग्राम लाड़पुर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. राजदीप सिंह पुत्र शिवराम निवासी ग्राम लाड़पुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
2. हरेन्द्र सिंह पुत्र शिवराम निवासी ग्राम लाड़पुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्र
2. उ0नि0 ऋषी शुक्ला
3. का0 इन्द्रपाल चौहान

महोबा पुलिस

थाना कबरई की पुलिस टीम ने 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 23.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री नागेन्द्र कुमार नागर द्वारा गठित की गई उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः 1.शंकर पुत्र रामदास उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम रिवई थाना कबरई जनपद महोबा 2. रामदास पुत्र सहाइया उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम रिवई थाना कबरई जनपद महोबा सम्बन्धित मु0नं0 1182/16 धारा 147/323/504/506 भादवि0 में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्तगण उपरोक्त को ग्राम रिवई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह
2. कां0 प्रदीप कुमार
3. कां0 नन्दलाल सिंह पटेल

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शंकर पुत्र रामदास उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम रिवई थाना कबरई जनपद महोबा
2. रामदास पुत्र सहाइया उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम रिवई थाना कबरई जनपद महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 23.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक कुमार दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री नागेन्द्र कुमार नागर के द्वारा गठित की गई उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह परिहार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 265/2024 धारा 65(1)/352/351(3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(1)द,3(1)ध,3(2)V एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त अर्जुन कुशवाहा पुत्र काका कुशवाहा उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम परसहा थाना कबरई जनपद महोबा को ग्राम पिडारी थाना कबरई जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह परिहार
2. कां0 शुभम कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

अर्जुन कुशवाहा पुत्र काका कुशवाहा उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम परसहा थाना कबरई जनपद महोबा।

महोबा पुलिस

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 23.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक कुमार दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार द्वारा गठित की गई उ0नि0 अनुरुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 122/24 धारा 74/351(2)बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त आशीष कुमार अहिरवार पुत्र जगन्नाथ अहिरवार उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम ग्योड़ी थाना खन्ना जनपद महोबा को ग्राम खन्ना के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1.उ0नि0 अनुरुद्ध प्रताप सिंह
2.का0 हिमांशू पाल

गिरफ्तार अभियुक्त-

आशीष कुमार अहिरवार पुत्र जगन्नाथ अहिरवार उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम ग्योड़ी थाना खन्ना जनपद महोबा।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 23.09.2024

मीडिया सेल, महोबा

अग्निसुरक्षा से बचाव हेतु मॉकड्रिल का आयोजन कर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को जागरुक किया गया।

अग्नि से सम्बन्धित होने वाली विभिन्न दुर्घटनाओं में प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में प्रभारी फायर सर्विस श्री देवेश तिवारी के नेतृत्व में चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज दिनांक 23.09.2024 को अग्निशमन टीम महोबा द्वारा जनपद महोबा के थाना चरखारी क्षेत्रअन्तर्गत अवस्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चरखारी (डायट-चरखारी) महोबा में जाकर वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया एवं अग्निसुरक्षा से बचाव हेतु मॉक ड्रिल का आयोजन कर आग से बचाव के तरीके, घरेलू गैस (एलपीजी सिलेण्डर) से लगी आग को बुझाने/काबू पाये जाने की विधियों सहित विभिन्न प्रकार से होने वाली अग्निसुरक्षा हेतु प्रयुक्त अग्निशमन उपकरण- फायर एक्सटिंग्यूसर इत्यादि को चलाने की विधि के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।